सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 20, शनिवार, शाके 1938–अप्रेल 9, 2016
Chaitra 20, Saturday, Saka 1938-April 9, 2016

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 9, 2016

संख्या प. 2 (25) विधि/2/2016:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 अप्रेल, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 5)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 अप्रेल, 2016 को प्राप्त हुई]

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-

मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2016 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के **अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 5, 18, 23 और 24 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का **संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (7) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (8) के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, विनिर्माण में उपयोग में लिये जाने के लिए विद्युतीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु जनरेटिंग सेट को पूंजीगत माल के रूप में माना जायेगा।"।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 13 का **संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जहां कोई व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर किये जाने के पश्चात्, अपने कारबार का मुख्य स्थान वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर परिवर्तित करे वहां वह निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे परिवर्तन के लिए आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी

से विहित रीति से अनुज्ञा प्राप्त करने की मांग करेगा और जब तक ऐसी अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाती तब तक वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी का निर्धारण प्राधिकारी बना रहेगा। जहां निर्धारण प्राधिकारी का परिवर्तन चाहने वाले आवेदन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अनुज्ञा की मंजूरी पर विनिश्चय नहीं किया जाता है वहां ऐसी अनुज्ञा मंजूर की हुई समझी जायेगी।"।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5) के परन्तुक में,-

(i) विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण 31.07.2016 तक किया जायेगा।"।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 33 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

"परन्तु निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष 1 अप्रेल, 2016 को लम्बित आवेदन 30 सितम्बर, 2016 तक, या उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पहले हो, निपटाया जायेगा।"।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51क में विद्यमान अभिव्यक्ति "ब्याज या शास्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ब्याज या शास्ति अथवा विलंब फीस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (4) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (3क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) जहां किसी व्यवहारी द्वारा कोई रकम गलती से या अधिक निक्षिप्त करा दी गयी है और यह पाया जाता है कि ऐसी रकम संदेय नहीं है या चालान में उल्लिखित कर कालावधि के लिए व्यवहारी द्वारा संदेय रकम से अधिक निक्षिप्त करा दी गयी है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, निर्धारण प्राधिकारी को उक्त रकम का प्रतिदाय, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, मंजूर करने के लिए निदेश देगा।"।

अध्याय 3

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (1क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रभावित विक्रय या क्रय के अनुसरण में कारबार के अनुक्रम में, चाहे उसके स्वयं के मद्दे या किसी मालिक या किसी

भी अन्य व्यक्ति के मद्दे, कोई भी माल किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लाया जाना कारित करता है, या माल का परिदान लेता है या परिदान लेने का हकदार है, माल के कराधेय क्रय मूल्य पर कर संदत्त करने का दायी होगा।"।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iV) प्रत्येक पट्टाकर्ता या पट्टेदार, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है या माल लाया जाना कारित करता है; या"

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(V) प्रत्येक व्यक्ति, जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रभावित विक्रय या क्रय के अनुसरण में कारबार के अनुक्रम में, चाहे उसके स्वयं के मद्दे या किसी मालिक या किसी भी अन्य व्यक्ति के मद्दे, कोई भी माल किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लाया जाना कारित करता है, या माल का परिदान लेता है या परिदान लेने का हकदार है,

किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के अपने वार्षिक पण्यावर्त का मूल्य ध्यान में लाये बिना स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवायेगा।"।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) अपील ऐसी तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी जिसको, वह आदेश, जिसके विरूद्ध अपील का किया जाना ईप्सित है, संसूचित किया जाये; किन्तु अपील प्राधिकारी साठ दिवस की उक्त कालावधि के पश्चात् भी अपील

ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।"।

अध्याय 4

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

12. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ञ) "विलास-कर अधिकारी" से आयुक्त द्वारा इस रूप में प्राधिकृत ऐसा कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो;"।

13. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (5क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(5क) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का दायी कोई होटलवाला, जब उप-धारा (2) के अधीन कोई आवेदन नहीं करता है तो विलास-कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे होटलवाले को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उसको उस तारीख से, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी होता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह उप-धारा (4) के अधीन मंजूर किया गया हो।"।

14. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 26 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास-कर अधिकारी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी भी होटलवाले" के पूर्व अभिव्यक्ति "या कोई भी अन्य अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये," अंत:स्थापित की जायेगी।

(ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास-कर अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी उपयुक्त समयों पर उपलब्ध रहेगी, और विलास-कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी उपयुक्त समयों पर उपलब्ध रहेगी, और ऐसा अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

15. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ख का **संशोधन.**- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3ख की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

16. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 3ग की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध

में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

अध्याय 6

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

17. **1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 3-क का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "संनिर्माण या विकास" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के लिए प्राधिकार या अधिकार" के पूर्व अभिव्यक्ति "या विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो)," अंत:स्थापित की जायेगी।

18. **1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 3-ख का अंत:स्थापन.-** मूल अधिनियम की इस प्रकार संशोधित धारा 3-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिभार.- (1) स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें, और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी भी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास, या उसके विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो), के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होगा, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गाय और उसकी

नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क और धारा 3-क के अधीन प्रभार्य किसी अधिभार के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का निश्चयन और उपयोग राज्य में गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।"।

19. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और ऐसी रकम को (जो दो सौ रुपये से अनधिक और पचास रुपये से अन्यून हो) फीस, जैसा कलक्टर प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, दे देता है," के स्थान पर अभिव्यक्ति "और पांच सौ रुपये की फीस दे देता है," प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 52 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 52 में विद्यमान अभिव्यक्ति "नब्बे दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 52-ख का **अंत:स्थापन.**- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"52-ख. **महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा पुनरीक्षण.**-(1) महानिरीक्षक स्टाम्प, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इस अधिनियम के अध्याय 3, 4 और 5 के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर

सकेगा और यदि उसका यह विचार हो कि कलक्टर द्वारा उसमें पारित कोई भी आदेश या तो गलत है या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल है तो वह ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और संबंधित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझे।

(2) पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश के पारित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश या निदेश पारित या जारी नहीं किया जायेगा।"।

22. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 65 में,

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "महानिरीक्षक स्टाम्प या कलक्टर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-धारा (1) के पूर्वोक्त रूप से संशोधित परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु महानिरीक्षक स्टाम्प या महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा विशिष्टतया या सामान्यतया प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि इस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 180 दिवस के भीतर-भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा।"।

23. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,

(i) अनुच्छेद 1 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दो रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 2 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये से अधिक न होते हुए, बंधपत्र के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 3 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) अनुच्छेद 4 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) अनुच्छेद 5 के खण्ड (छ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) विद्यमान अनुच्छेद 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"17. **विक्रय प्रमाण-पत्र** (ऐसी प्रत्येक वही शुल्क जो क्रय-धन सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में की रकम के बराबर नीलाम कर चढ़ाई गयी है और बेची गयी प्रतिफल वाले है) जो किसी सिविल या राजस्व हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) न्यायालय, या कलक्टर या अन्य राजस्व या सम्पत्ति के बाजार अधिकारी या लोक नीलाम द्वारा सम्पत्ति मूल्य, जो भी अधिक हो, विक्रय करने के लिए विधि द्वारा सशक्त पर लगता है।";

किसी अन्य अधिकारी द्वारा लोक नीलाम द्वारा बेची गयी किसी सम्पत्ति के क्रेता को मंजूर किया गया है।

(vii) अनुच्छेद 18 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अंकित मूल्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बाजार मूल्य" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(viii) अनुच्छेद 21 में, खण्ड (iii) के सामने स्तम्भ सं. 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन रहते हुए-

(i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित या रद्द किये गये शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, में समाविष्ट कुल रकम और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या

(ii) अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम,

जो भी अधिक हो।";

(ix) अनुच्छेद 22 के खण्ड (ii) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) अनुच्छेद 23 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xi) विद्यमान अनुच्छेद 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24.	ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य हो और जिसके संबंध में समुचित शुल्क संदत्त कर दिया गया हो, में लिपिकीय भूलों को सुधारने के लिए या ऐसे संशोधन, जो किसी भी सम्पत्ति में हित के अंतरण की कोटि में नहीं आते हैं, करने के लिए, **अनुपूरक लिखत**।	पांच सौ रुपये।";

(xii) अनुच्छेद 33-क में विद्यमान अभिव्यक्ति "कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रूपया।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो पट्टा (सं. 33) पर लगता है।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xiii) अनुच्छेद 35 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xiv) विद्यमान अनुच्छेद 35-क के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 36 के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी (सीदाभा).**- (1) सीमित दायित्व भागीदारी के गठन की लिखत-		
(क)	जहां भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रूप में किया गया	दो हजार रुपये।

	ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अनधिक है	
(ख)	प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए, जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है	अधिकतम दस हजार रुपये के शुल्क के अध्यधीन रहते हुए, दो हजार रुपये।
(ग)	जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(2) फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की लिखत-		
(क)	जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति सीमित दायित्व भागीदारी में निहित हो	स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत।
(ख)	किसी अन्य मामले में	पांच हजार रुपये।
(3) सीमित दायित्व भागीदारी का पुनर्गठन या समामेलन		प्रतिफल पर या राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो, चार प्रतिशत।
(4) सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या विघटन,-		
(क)	जहां भागीदारी के विघटन पर कोई स्थावर	न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए,

	सम्पत्ति ऐसे भागीदार, जो उस सम्पत्ति को सीमित दायित्व भागीदारी में उसके अंशदान के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली जाती है	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ख)	किसी अन्य मामले में	पांच सौ रुपये।";

(xv) अनुच्छेद 43 में,-

(क) खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (1) के उप-खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्यधीन, पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्यधीन रहते हुए, दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xvi)अनुच्छेद 48 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क)	यदि किसी पैतृक सम्पत्ति या उसके किसी भाग का निर्मुक्ति विलेख, भाई या बहिन (त्यागने वाले के माता-पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या त्यागने वाले की	त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बराबर रकम का 1.5 प्रतिशत।"; और

पत्नी या पति के द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित किया जाये।

(xvii) विद्यमान अनुच्छेद 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"58. **संकर्म संविदा** अर्थात् उसके निष्पादन में माल में की सम्पत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) अन्तरण को अंतर्वलित करने वाले संकर्म और मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा और उसमें उप-संविदा भी सम्मिलित है।	अधिकतम पंद्रह हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी संविदा में रखी गयी रकम या मूल्य का 0.25 प्रतिशत।"।	

अध्याय 7

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

24. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ की सारणी में क्रम सं. 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

2.	**परिवहन यान**	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के	2000
	(क) दुपहिया यात्री यान/ तिपहिया यात्री और माल यान		
	(ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न यान		
	(i) हल्के मोटर यान		

	(क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो	अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय	5000
	(ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		8000
	(ii) हल्के मोटर यान से भिन्न यान		
	(क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो		6000
	(ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		10000

" ।

अध्याय 8

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

25. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमश: 36.5, 36.5, 35.5, 35.0 और 34.0 प्रतिशत तक सीमित करेगी;";

(ii) खण्ड (ङ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात् और विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) यह सुनिश्चित करेगी कि 31.03.2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:"; और

(iii) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ग) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "." के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित

की जायेगी और इस प्रकार संशोधित उक्त खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अधीन ऊर्जा वितरण कम्पनियों के उधारों को टेकओवर करने और उन पर ब्याज के कारण,"।

26. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6क की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 अप्रेल, 2015 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां, जो राज्य सरकार उचित समझे, यदि राज्य विधान-मण्डल इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेंगी।"।

ब्रजेश कुमार डांगरा,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, April 9, 2016

No. F. 2 (25) Vidhi/2/2016.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2016 (2016 ka Adhiniyam Shankhyank 5) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2016
(Act No. 5 of 2016)

[Received the assent of the Governor on the 8th day of April, 2016]

An

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 and the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2016-17 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2016.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 5, 18, 23 and 24 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing clause (7) and before the existing clause (8) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act

No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-** For the purpose of this clause, generating set for generation of electrical energy to be used in manufacturing shall be treated as capital goods.".

4. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (3) of section 13 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(3) Where a dealer, after having been granted registration, changes his principal place of business outside the territorial jurisdiction of the present assessing authority, he shall seek the permission in the prescribed manner for such change of the assessing authority from the Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf, and unless such permission is granted, the present assessing authority shall continue to be the assessing authority of such dealer. Where a decision on the grant of permission is not taken within a period of thirty days from the date of the application seeking change of assessing authority, such permission shall be deemed to have been granted.".

5. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In proviso to sub-section (5) of section 24 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing proviso so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the assessment for the year 2013-14 shall be made up to 31.07.2016.".

6. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (3) of section 33 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "within a period of one year", the expression "within a period of six months" shall be substituted;

(ii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(iii) after the sub-section (3), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the application pending before assessing authority on 1st April, 2016 shall be disposed of up to 30th September, 2016 or within one year from the date of presentation thereof, whichever is earlier.".

7. Amendment of section 51A, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 51A of the principal Act, for the existing expression "interest or penalty", the expression "interest or penalty or late fee" shall be substituted.

8. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 53 of the principal Act, after the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4), the following new sub-section (3A) shall be inserted, namely:-

"(3A) Where any amount has been deposited wrongly or in excess, by a dealer and it is found that such amount is not payable or has been deposited in excess of the amount payable by the dealer for the tax period mentioned in the challan, the Commissioner or any officer as authorised by the Commissioner in this behalf shall direct the assessing authority to grant refund of the said amount in the manner as prescribed.".

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

9. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In section 4 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act,1999(Act No. 13 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (1) and before existing sub-section (2), the following new sub-section (1A) shall be inserted, namely:-

"(1A) Every person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area, or takes delivery or is entitled to take delivery into a local area of, any goods in pursuance of sale or purchase effected through electronic media shall be liable to pay tax on the taxable purchase value of the goods.".

10. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In sub-section (2) of section 11 of the principal Act,-

(i) in clause (iv), for the existing expression ";",appearing at the end, the expression "; or" shall be substituted; and

(ii) after clause (iv), so amended, the following new clause (v) shall be added, namely:-

"(v) every person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area, or takes delivery or is entitled to take delivery into a local area of, any goods in pursuance of sale or purchase effected through electronic media;".

11. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- For the existing sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) The appeal shall be preferred within sixty days from date on which the order sought to be appealed against is communicated; but the appellate authority may admit an appeal even after the said period of sixty days if it is satisfied that appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.".

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

12. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Tax on

Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing clause (j), the following shall be substituted, namely:-

"(j) "Luxury Tax Officer" means any officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer, authorised as such by the Commissioner;".

13. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- After the existing sub-section (5) and before the existing sub-section (6) of section 12 of the principal Act, the following new sub-section (5A) shall be inserted, namely:-

"(5A) When a hotelier liable to get registration, does not make application under sub-section (2), the Luxury Tax Officer or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by Commissioner in this behalf, after affording an opportunity of being heard to such hotelier, shall grant him registration certificate from the date he becomes liable to pay tax under this Act and such registration shall take effect as if it has been granted under sub-section (4).".

14. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In section 26 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), after the existing expression "Luxury Tax Officer" and before the existing expression "may require", the expression "or any other officer as may be authorised by the Commissioner in this behalf" shall be inserted.

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "by the Luxury Tax Officer, and the Luxury Tax Officer", the expression "by the officer specified in sub-section (1), and such officer" shall be substituted.

CHAPTER V
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

15. Amendment of section 3B, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- For the existing sub-section (2) of section 3B of the

Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.".

16. Amendment of section 3C, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- For the existing sub-section (2) of section 3C of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.".

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

17. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression "for construction on, or development of," and before the existing expression "any immovable property", the expression "or sale or transfer (in any manner whatsoever) of," shall be inserted.

18. Insertion of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After section 3-A, so amended, and before the existing section 4 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**3-B. Surcharge for conservation and propagation of cow and its progeny.-** (1) All instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property, and agreement or memorandum of an agreement relating to

giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3 and any surcharge chargeable under section 3-A.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall so far as may be apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.

(4) The surcharge collected under this section shall be earmarked and utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny-in the State.".

19. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 35 of the principal Act, for the existing expression "and pays a fee of such amount (not exceeding two hundred rupees and not less than fifty rupees) as the Collector may in each case direct," the expression "and pays a fee of five hundred rupees," shall be substituted.

20. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 52 of the principal Act, for the existing expression "ninety days", the expression "two years" shall be substituted.

21. Insertion of section 52-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 52-A and before the existing section 53 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**52-B. Revision by the Inspector General of Stamp.-** (1) The Inspector General of Stamp may *suo motu* or otherwise, call for and examine the record of any

proceeding under Chapter III, IV and V of this Act, and if he considers that any order passed therein by Collector is either erroneous or prejudicial to the interest of the State revenue, he may, after having made or after having caused to be made such enquiry as he considers necessary, and after having given to the party concerned a reasonable opportunity of being heard, pass such order or issue such direction as he deems proper under the circumstances of the case.

(2) No order or direction under sub-section (1) shall be passed or issued by the Inspector General of Stamp after expiry of a period of five years from the date on which the order sought to be revised was passed.".

22. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 65 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "Collector" wherever occurring, the expression "Inspector General of Stamp or Collector" shall be substituted;

(ii) in proviso to sub-section (1), for the existing expression "Provided that", the expression "Provided further that" shall be substituted; and

(iii) before the proviso to sub-section (1), amended as aforesaid, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Inspector General of Stamp or any other officer authorised specially or generally by the Inspector General of Stamp may, if aggrieved by any order referred to in this sub-section, may file revision before Chief Controlling Revenue Authority within 180 days from the date of the communication of the order.".

23. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 1, for the existing expression "Two rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Ten rupees" shall be substituted;

(ii) in Article 2, for the existing expression "Ten rupees for every hundred rupees, or part thereof of the value of the bond subject to a maximum of one hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Two percent of the value of the bond" shall be substituted;

(iii) in Article 3, for the existing expression "Three hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "One thousand rupees" shall be substituted;

(iv) in Article 4, for the existing expression "Twenty rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Fifty rupees" shall be substituted;

(v) in clause (g) of Article 5, for the existing expression "One hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees" shall be substituted;

(vi) for the existing Article 17, the following shall be substituted, namely:-

"17. Certificate of Sale (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer or any other officer empowered by law to sale property by public auction.	The same duty as on a conveyance (No. 21) for consideration equal to the amount of the purchase-money or market value of the property, whichever is higher.";	)

(vii) in Article 18, for the existing expression "face value" appearing under Column No. 2, the expression "market value" shall be substituted;

(viii) in Article 21, for the existing entry in column number 2 against clause (iii), the following entry shall be substituted, namely:-

"Subject to a maximum of twenty five crores rupees-

(i) an amount equal to four percent of the aggregate amount comprising of the market value of share issued or allotted or cancelled in exchange of or otherwise, or on the face value of such shares, whichever is higher and the amount of consideration, if any, paid for such amalgamation, demerger or reconstruction, or

(ii) an amount equal to four percent of the market value of the immovable property situated in the State of Rajasthan of the transferor company,

whichever is higher.";

(ix) in clause (ii) of Article 22, for the existing expression "Five rupees" appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;

(x) in clause (b) of Article 23, for the existing expression "Ten rupees" appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;

(xi) for the existing Article 24, the following shall be substituted, namely:-

"24. **Supplementary instrument** to correct clerical errors or to make amendments, not amounting to transfer of interest in any property, in any instrument chargeable with duty and in respect of which proper duty has	Five hundred rupees.";

been paid.

(xii) in Article 33-A, for the existing expression "One rupee for every hundred rupees or part thereof on the whole amount payable or deliverable plus the total amount of fine or premium or money advanced or to be advanced irrespective of the period for which such leave and licence agreement is executed.", the expression "The same duty as on Lease (No. 33).", shall be substituted;

(xiii) in Article 35, for the existing expression "One hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Two hundred rupees" shall be substituted;

(xiv) after the existing Article 35-A and before the existing Article 36, the following shall be inserted, namely:-

"35-B. Limited Liability Partnership (LLP).- (1) Instrument of constitution of limited liability partnership-		
(a)	where there is no share contribution in partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-	Two thousand rupees.
(b)	where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs. 50,000/- or part thereof	Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand.
(c)	where such share contribution is brought in by way of immovable property	The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of such property.
(2) Instrument of conversion of firm/ private limited company/ unlisted public limited company into limited liability partnership-		